ATS Structural Consultants

TO WHOM IT MAY CONCERN

(Certificate of seismic resistant structure)

This is certified **PROPOSED GROUP HOUSING PLAN OVER ARAZI NO.-575KH, 575GH, 550KA, 550KH, 570KH, 570KA. MAUZA-BHULLAN PUR, PARGANA- DEHAT AMANAT, WARD-DASHASWAMEDH, VARANASI** owned by FRAMEWORK INFRABUILDS PVT. LTD DIRECTOR- SUDHIR KASHYAP S/O LATE.KAVINDRA KUMAR RAI, is situated in seismic Zone- III and the seismic safety provisions has been incorporated as per relevant NBC-2005 & IS code of Practice in the structural design.

It is also certified that the structural design is best suited for proposed site as per best of my knowledge.

Akhilesh Kumar Singh
For ATS Structural Consultants
Lucknow

D-27, INDIRA NAGAR, LUCKNOW- 226016. PHONE-0522-4069139. EMAIL-atsstructuralconsultants@gmail.com

जानपद अभियांत्रिकी विभाग
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी–२२१००५
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, (BHU), VARANASI-221005
Tel : 0542-2368283, 6701525 Fax : 91-542-2368283, Mob: 9415620122 Websites : www.bhu.ac.in : Email: vkumar1655@yahoo.co.in

Ref. No. CE/VK/2017-18/247 Date: 20.04.2017

To,
Mr. Akhilesh Kumar Singh
Structural Engineer
M/s ATS Structural Consultants
D-27, Indira Nagar
Lucknow-16

Ref. : Your letter No. 16-17/IIT-BHU-8 dated 23.03.2017

Dear Sir,

With reference to your above letter, the structural design calculation (STAAD input and output file) along with structural drawings has been provided for vetting. The design is based on the result of STAAD output file and safe for the considered load, earthquake zone and bearing capacity by the designer. The vetted design and drawings are enclosed with this letter.

Thanking you,

Yours faithfully,

Encl.: As above.

(V. Kumar)
Professor

Arun Roy

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं0.....28...../न0 अ0 वि0 दिनांक 19-5-17

गृह निर्माणार्थ अनुमति–पत्र

यह अनुमति केवल उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रक्खेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/~~श्री~~ फेमस्क इन्फ्रा बिल्डर्स प्रा०लि० बजरिये "डायरेक्टर" श्री सुधीर कश्यप पुत्र स्व०रवीन्द्र कुमार राय

पिता/पति का नाम श्री................................आराजी संख्या 575ख 575घ 550क 550ख 570ख 570क मौजा सुल्तानपुर

वार्ड दशाश्वमेध में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक..........................20

(मुहर: उपाध्यक्ष 21/16 जून 2016 विन्यास ... विकास प्राधिकरण, वाराणसी)

(हस्ताक्षर) 19.5.2017

अधिकारी

विकास प्राधिकरण

कृते उपाध्यक्ष

वाराणसी विकास प्राधिकरण

वाराणसी

नोट : 1– यह स्वाकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2– इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3– मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर.................. दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4– गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5– प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6– यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7– यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

(हस्ताक्षर)

2 –

शर्त :–

1. पक्षगण को भूखण्ड पर 12 पेड़ लगाना होगा।
2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान मानक के अनुसार पक्ष को स्थल पर कराना होगा।
3. स्टिल्ट फ्लोर के नीचे बेसमेन्ट का प्राविधान किया गया है। ऐसी दशा में बेसमेन्ट की छत भूतल की लेबिल में होगी तथा उसमें Mechanical Ventilation की व्यवस्था का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा साथ ही स्लैब का स्ट्रक्चर/डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगी।
4. स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर पक्ष/आवेदक को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश भाग का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
5. भवन में ढॉचागत सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी/आवेदक की होगी।
6. भूकम्परोधी निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग निर्माण की स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं अभिलेख एवं शासनादेश के अनुक्रम में प्रमाण पत्र, भू–स्वामी एवं बिल्डर तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा तभी मानचित्र निर्गत की कार्यवाही की जायेगी।
7. निर्माण के दौरान बेसमेन्ट खुदाई हेतु सुरक्षा के सभी उपाय किये जायेंगे तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।
8. पक्ष एवं आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल इंजीनियर को यह सुनिश्चित् करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी ही होगा, अन्यथा कोई अप्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्षगण एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट की होगी।
9. अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति वांछित है। उक्त अनापत्ति प्राप्त होने पर अनापत्ति में वर्णित शर्तो का पालन निर्देशानुसार स्थल पर पक्ष/मानचित्र प्रस्तावक को अनिवार्य रूप से करना होगा।
10. स्ट्रक्चरल डिजाइन को आई0आई0टी0 रूड़की विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चरल इंजीनियर के प्रोफेसर से प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा।
11. कूड़ा संचयन की पर्याप्त व सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित् कराना होगा।
12. कुल पार्किंग क्षेत्र का 10 प्रतिशत भाग विजिटर पार्किंग हेतु आरक्षित किया जायेगा, इसमें प्रवेश एवं निकास की उचित व्यवस्था की जायेगी।
13. भू–स्वामित्व एवं रास्ता सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में एवं अन्य कोई तथ्य उजागर होने की दशा में प्रस्तुत मानचित्र स्वतः अस्वीकार माना जायेगा और ऐसी दशा में इसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
14. भविष्य में यदि विभाग द्वारा कोई देयता बनती है तो शपथकर्तागण द्वारा देय होगी।
15. पक्षगण को स्थल पर सोलर वाटर हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित् करनी होगी।
16. पक्षगण को शपथ पत्र दिनांक 27.03.17 का निर्देशानुसार अनुपालन करना होगा।

17. निर्माणकर्ता द्वारा भवन सामाग्री, भूखण्ड परिसर के भीतर ही रखी जायेगी तथा किसी प्रकार से सड़क यातायात अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।

18. स्वीकृत मानचित्रों की छायाप्रति पक्ष को निर्माणाधीन स्थल पर रखना होगा, ताकि मौके पर कभी भी जॉच कर स्थलीय निर्माण का मिलान स्वीकृत मानचित्र से किया जा सके।

19. निर्माणकर्ता द्वारा बेसमेंट का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त निर्माण का निरीक्षण प्रभारी प्रवर्तन प्रकोष्ठ, विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा करने के उपरान्त ही आगे निर्माण कार्य शुरू किया जाना होगा। इसी प्रकार ऊपर एवं अन्य तलों का भी निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही कराया जाना होगा। सभी प्रकार के विकास कार्य/अवस्थापना सुविधाओं तथा भवनों का निर्माण कार्य जलापूर्ति, जल निकासी एवं मल निस्तारण आदि सम्बन्धित निर्माण कार्य समय–समय पर शासकीय नीति/निर्देशों के बी.आई.एस./आई.एस.आई. के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जाय। सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्नि शमन सुरक्षा, लिफ्ट सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्प रोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेप्टी/स्टेबिल्टी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन/मानकों/नियम व शर्तों/ शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्यों एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्पलीशन प्रमाण प्राप्त करने के उपरान्त ही उपयोग में लाया जायेगा।

20. भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए भू–जल का दोहन/अनाधिकृत निकासी व दुरूपयोग नहीं किया जायेगा तथा किसी भी दशा में भू–जल प्राधिकरण अथवा उत्तर प्रदेश, भू–जल विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी के बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार से भू–जल की अनाधिकृत निकासी एवं दुरूपयोग नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत क्षेत्र की हाइड्रोलॉजी के दृष्टिगत केन्द्रीय वाटर हार्वेस्टिंग/भू–जल संचयन प्रभावी व कार्यशील व्यवस्था की जायेगी। भवन परिसर में वाराणसी महायोजना 2031 के बिना एवं सबडिवीजन रेगुलेशन में निर्धारित अनुमन्य भू–उपयोग तथा अनुमन्य क्रियाओं का उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति नहीं होगी या प्रबन्ध मूल भवन स्वामी, उप स्वामी, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।

21. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित भवन में षासन की नीति के अनुसार उर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक उर्जा उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुर्नवितरण, वर्षा जल संचयन के परिस्थितिकीय (Ecological) एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षा रोपण एवं लैण्ड स्केपिंग, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिफ्ट संचालन एवं सुरक्षा आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन/मानकों/नियमों व शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।

22. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित भवनों व शारीरिक रूप से अक्षम एवं आशक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाओं एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोध मुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।

18/5/17

18/5/17

19.5.17

19.5.2017

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
927–डी, बरईपुर, पो0–कन्दवॉ, वाराणसी–221106
E-mail–eeedd2vns@gmail.com

पत्रांक 461 /वि.वि.खं.द्वि.(वा.)/ दिनांक 20-02-17

विषय–अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

अधीक्षण अभियन्ता (भवन),
वाराणसी विकास प्रधिकरण,
वाराणसी।

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने कार्यालय पत्रांक 21/16 वि0प्रा दिनांक 23.09.2016 का अवलोकन करें।

इस सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि मेसर्स फ्रेमर्वक इन्फ्रा विल्डस प्रा0लि0 वास्ते निदेशक श्री सुधीर कश्यप पुत्र स्व0 कविन्द्र कुमार द्वारा आराजी नं0 575 ख, 575 घ, 570 घ, 550 क, 570 ख, 550 ख, 570 ख, मौजा भुल्लनपुर परगना–देहात जिला–वाराणसी में परिसर के आस–पास कोई भी विद्युत की एल0टी0/एच0टी0 व अन्डर ग्राउण्ड लाइन नहीं गुजर रही है एवं मानक के अनुसार उचित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–यथोपरि।

(एल0पी0चकवेदी)
अधिशासी अभियन्ता

पत्र संख्या /वि.वि.खं.द्वि.(वा.)/ दिनांक ....

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एल0पी0चकवेदी)
अधिशासी अभियन्ता

D:vivek S.D.O..

☎ फोन : 0542–2277510,
8935000962,

जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

(जोन–4)

भेलूपुर, वाराणसी–221010

प्रेषकः– अधिशासी अभियन्ता (जोन–4)

सेवा में,

नगर अभियन्ता (भवन)
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी.

संख्या– .... / II / जोन–4 / ज.क.न.नि.वा. दिनांक.................2017

विषय– आराजी भूखण्ड संख्या– 575ख, 575घ, 570घ, 550क, 570क, 570ख, 550ख, 570ख मौजा– भुल्लनपुर, वार्ड–दशाश्वमेद्य, वाराणसी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्र संख्या– 21 / 16यु0हा0 / विन्यास / वि0प्रा0 / 16–17 दिनांक– 23 / 06 / 2016 द्वारा आराजी भूखण्ड संख्या– 575ख, 575घ, 570घ, 550क, 570क, 570ख, 550ख, 570ख मौजा– भुल्लनपुर, वार्ड–दशाश्वमेद्य, वाराणसी का मनचित्र की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र मांगा गया था।

निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि उक्त भूखण्ड नगर निगम, जलकल विभाग की सीमा से बाहर है। भूखण्ड जलापूर्ति तथा सीवर व्यवस्था से आच्छादित नहीं है। अतः जलकल विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय

11/01/17

अधिशासी अभियन्ता (जोन–4)
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी.

पृ0सं0:– / II / जोन–4 / ज.क.न.नि.वा. दिनांकः– / / 2017

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग, वाराणसी की सेवा में सादर सूचनार्थ।
1. भवन / भूखण्ड स्वामी फ्रेमवर्क इन्फ्रा बिल्ड्स प्रा0 लि0 निदेशक श्री सुधीर कश्यम पुत्र स्व0 कविन्द्र कुमार राय, आराजी भूखण्ड संख्या– 575ख, 575घ, 570घ, 550क, 570क, 570ख, 550ख, 570ख, मौजा– भुल्लनपुर, वार्ड–दशाश्वमेद्य, वाराणसी को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता (जोन–4)
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी.

(J.E. Sir.06 S.Z.) RAVI(SOURI)(ZONE-4)

☎ फोन : 0542–2277510,
8935000962,

जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी
(जोन–4)
भेलूपुर, वाराणसी–221010

प्रेषकः– अधिशासी अभियन्ता (जोन–4)

सेवा में,

नगर अभियन्ता (भवन)
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी.

संख्या– .... / ।।/ जोन–4 / ज.क.न.नि.वा. दिनांक.................2017

विषय– आराजी भूखण्ड संख्या– 575ख, 575घ, 570घ, 550क, 570क, 570ख, 550ख, 570ख मौजा– भुल्लनपुर, वार्ड–दशाश्वमेद्य, वाराणसी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्र संख्या– 21 / 16ग्रु0हा0 / विन्यास / वि0प्रा0 / 16–17 दिनांक– 23 / 06 / 2016 द्वारा आराजी भूखण्ड संख्या– 575ख, 575घ, 570घ, 550क, 570क, 570ख, 550ख, 570ख मौजा– भुल्लनपुर, वार्ड–दशाश्वमेद्य, वाराणसी का मनचित्र की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र मांगा गया था।

निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि उक्त भूखण्ड नगर निगम, जलकल विभाग की सीमा से बाहर है। भूखण्ड जलापूर्ति तथा सीवर व्यवस्था से आच्छादित नहीं है। अतः जलकल विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता (जोन–4)
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी.

पृ0सं0:– / ।।/ जोन–4 / ज.क.न.नि.वा. दिनांकः– / /2017
प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग, वाराणसी की सेवा में सादर सूचनार्थ।
1. भवन / भूखण्ड स्वामी फ्रेमवर्क इन्फ्रा बिल्डर्स प्रा0 लि0 निदेशक श्री सुधीर कश्यम पुत्र स्व0 कविन्द्र कुमार राय, आराजी भूखण्ड संख्या– 575ख, 575घ, 570घ, 550क, 570क, 570ख, 550ख, 570ख, मौजा– भुल्लनपुर, वार्ड–दशाश्वमेद्य, वाराणसी को सूचनार्थ।

11/01/17
अधिशासी अभियन्ता (जोन–4)
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी.

(J.E. Sir.06 S.Z.) RAVI(SOURII)ONE-4)

प्रेषक,

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम वाराणसी

सेवा में,

नगर अभियंता (भवन)
वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी।

पत्र संख्या- 861/ए.सी./2016-17- दिनांक 10/01/2017-

विषय- मानचित्र अनापत्ति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय से प्राप्त डी. 21/16 गु0हा0/विन्यास दिनांक 23.09.2016 फ्रेमवर्क इन्फ्राविल्डर्स प्रा0लि0 निदेशक श्री सुधीर कश्यप पुत्र स्व0 अमित कुमार राय द्वारा प्रस्तुत मानचित्र आराजी नं0-575ख, 575घ, 570घ, 550क, 570क, 570ख, 550ख मौजा भुल्लनपुर विभागीय आख्यानुसार उक्त प्रस्तावित स्थल नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है ।

अतएव तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें ।

भवदीय

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम वाराणसी

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3(बी)/2017 दिनांकः मार्च 10 , 2017

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता (भवन),
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

विषयः– आवेदक **श्री सुधीर कश्यप पुत्र स्व0 रविन्द्र कुमार राय, दुर्गाकुण्ड वाराणसी 'डायरेक्टर' फ्रेमवर्क इन्फ्रा बिल्डर्स प्रा0 लि0 के आराजी संख्या–575ख, 575घ, 550क, 550ख, 570ख, 570क, मौजा भुल्लनपुर, परगना देहात अमानत, वाराणसी** पर प्रस्तावित भवन मानचित्र के अनुसार स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

....

संदर्भः आपका पत्रांकः 21/16 ग्रु0हा0/वि0प्रा0/विन्यास/2016–17 दिनांकः 22.02.2017
एवं आवेदक के यू0आई0डी0 नं0–2017/28203/वीएनएस/वाराणसी/177

....

कृपया अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो आवेदक **श्री सुधीर कश्यप पुत्र स्व0 रविन्द्र कुमार रायं, दुर्गाकुण्ड वाराणसी ''डायरेक्टर'' फ्रेमवर्क इन्फ्रा बिल्डर्स प्रा0लि0** के **आराजी संख्या–575 ख, 575 घ, 550 क, 550 ख, 570 ख, 570 क, मौजा भुल्लनपुर, परगना देहात अमानत, वार्ड दशाश्वमेध, वाराणसी** पर प्रस्तावित भवन मानचित्र के अनुसार स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उपरोक्त सम्बन्ध में ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, वाराणसी द्वारा किया गया। प्राप्त उनकी आख्या दिनांकः 05. 03.2017 का परिशीलन किया गया, निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः–

A. भवन की संरचनाः–

TOTAL PLOT AREA	**=2314.50 SQM**
ROAD WIDDENING AREA	**= 21.86 SQM**
NET PLOT AREA	**= 2292.64 SQM**
FLOOR AREA= (1 TH TO 5 TH FLOOR)	**= 698.07X5 SQM =3490.3**
FLOOR AREA= (6 TH FLOOR)	**= 596.56 SQM**
FLOOR AREA= (7 TH FLOOR)	**= 482.62 SQM**
FLOOR AREA= (SHOP)	**=30.97 SQM**
FLOOR AREA = (GUARD ROOM)	**=1.6 SQM**
OVER HEAD WATER TANK	**=34.95 SQM**
LIFT MACHINE ROOM	**=19.03 SQM**
TOTAL FLOOR AREA= (typical floor area+6 th area+7 th+shop)	**=4600.5 SQM**
F.A.R.	**=2.006 SQM**
STILT COVERED AREA	**=808.51 SQM**
BESMENT COVERED AREA	**=808.51 SQM**

C.F.O
VNS

B. **भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः–** प्रस्तावित भवन का अधिभोग एन0बी0सी0–2005 की आवासीय भवन(ए–4) की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

C. **ढ़ाचागत व्यवस्थाः–**

1. **पहुँच मार्गः**–प्रस्तावित भवन मानचित्र के अनुसार 12.0 मीटर से अधिक चौड़ी रोड़ पर स्थित है।
2. **प्रवेश द्वार की चौड़ाईः**–प्रस्तावित भवन में प्रवेश द्वार 4.50 मीटर चौड़ाई का बनाया जाना आवश्यक है। प्रवेश मार्ग में सीढ़ी की चौड़ाई एन0बी0सी0 पार्ट–।।। के क्लाज–12.18 के अनुसार tread-

–––2 पर

250 m.m., riser-150 m.m., width-1500 m.m. बनाया जाय।

3. **बेसमेन्टः**–पार्किंग हेतु मानचित्र मे बेसमेन्ट का निर्माण प्रस्तावित है जिसमे प्रवेश/निकास हेतु एक रैम्प का बनाया जाना दर्शाया गया है, जिसकी चौड़ाई–6.85 मीटर है। प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में प्रवेश व निकास हेतु अलग–2 रैम्प मानक के अनुरूप अर्थात नेशनल बिल्डिंग–2005 के क्लाज 4.6.2 के अनुरूप बनाया जाय। रैम्प के निर्माण का ढ़ाल–1:10 से 1:8 के मध्य रखा जाये।
4. **सेटबैकः**–उक्त प्रस्तावित भवन का सेटबैक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के प्रस्तर–3.4.5–iv (क) के अनुसार 24 मीटर ऊँचाई तक अनुवर्ती तलों पर एक सेटबैक के साथ भूमि तल पर चारो ओर न्यूनतम सेटबैक–6.0 मीटर छोड़ा गया है। सेटबैक को हमेशा अवरोध मुक्त रखा जायेगा। सेटबैक मे किसी भी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा।
5. **निकास मार्गः**–प्रस्तावित भवन में दो स्टेयर केस बनाया जाना है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रैवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। जिनकी चौड़ाई 1.50 मीटर है। प्रस्तावित भवन के स्टेयर केस को सातवां तल से बेसमेन्ट तक निरन्तरता नही होनी चाहिए।
6. प्रस्तावित भवन की भूमि तल से ऊँचाई–23.90 मीटर है।
7. रिफ्यूल एरिया का विवरणः– निल।

D. प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीव रक्षा प्रणाली का विवरणः–एन0बी0सी0– 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाए पूर्ण की जानी अनिवार्य हैः–

1. **भूमिगत टैंकः**–एन0बी0सी0–2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नही है।
2. **पम्पः**–नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नही है।
3. **होजरीलः**–प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0–3844 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
4. **वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टमः**–प्रस्तावित भवन में डाउनकमर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
5. **यार्ड हाइड्रेन्टः**–प्रस्तावित भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेन्ट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0एस0–13039::1991 के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
6. **हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टमः**–प्रस्तावित भवन में मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक है।
7. **स्वचालित डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टमः**–प्रस्तावित भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक है।
8. **स्वचालित स्प्रिकंलर सिस्टमः**–प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में आटोमेटिक स्प्रिकंलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है तथ प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में यांत्रिक संवातन सिस्टम की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
9. **टैरेस टैंकः**–प्रस्तावित भवन के टैरेस पर 25,000 (पच्चीस हजार) लीटर क्षमता का टैरेस टैंक स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
10. **टैरेस पम्पः**–प्रस्तावित भवन के टैरेस पर टैरेस पम्प क्षमता–900 एल0पी0एम0 का स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
11. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):**–प्रस्तावित भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर) आई0एस0–15683::2006 के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
12. **एक्जिट साइनेजः**–प्रस्तावित भवन में एक्जिट साईनेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
13. **पी0ए0 सिस्टमः**–पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था का प्राविधान सम्पूर्ण भवन में किया जाना प्राविधानित है।

–––3 पर

FO
VNS

14. प्रस्तावित भवन में वैकल्पिक विद्युत श्रोत की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है।

E. निम्न बिन्दुओं का पालन अनिवार्य होगाः—

1. मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्याः 5696(एम / बी) / 2006 गोमतीनगर जन कल्याण महासमिति बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 08.09.2006 का पालन आवश्यक होगा।
2. शासनादेश संख्याः 2130—छः—पु0—8—06 दिनांकः 19 अक्टूबर 2006 का पालन आवश्यक होगा।
3. फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश पत्र संख्याः एफ0एएस0—1076 / 2012 दिनांकः 5 अक्टूबर के अनुरूप कार्यवाही किया जाना वांछनीय होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड़ आफ इण्डिया—2005 के मानको का उल्लघंन किसी भी दशा मे न किया जाय।
5. प्रश्नगत् भवन के बेसमेन्ट का प्रयोग नेशनल बिल्डिंग कोड़ आफ इण्डिया—2005 पार्ट— ।।। के क्लाज 12.9 के अनुरूप ही किया जाय।

अतः आवेदक श्री सुधीर कश्यप पुत्र स्व0 रविन्द्र कुमार राय, दुर्गाकुण्ड वाराणसी ''डायरेक्टर'' फ्रेमवर्क इन्फ्रा बिल्डर्स प्रा0लि0 के आराजी संख्या—575 ख, 575 घ, 550 क, 550 ख, 570 ख, 570 क, मौजा भुल्लनपुर, परगना देहात अमानत, वार्ड दशाश्वमेध, वाराणसी पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन का सुरक्षा पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि, ग्रुप हाउसिंग भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने तथा अधिवासित होने से पूर्व उक्त भवन में भवन निर्माण व विकास उपविधि—2008 यथा संशोधित—2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का, अग्निशमन विभाग से निरीक्षण / परीक्षण कराकर, अनन्तिम अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। निरीक्षण / परीक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी, आवेदक **बिल्डर्स / भवन स्वामी** की स्वयं की होगी।

10-3-17

(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
वाराणसी।

(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी

प्रतिलिपिः—

1. आवेदक श्री सुधीर कश्यप पुत्र स्व0 रविन्द्र कुमार राय, दुर्गाकुण्ड वाराणसी 'डायरेक्टर' फ्रेमवर्क इन्फ्रा बिल्डर्स प्रा0 लि0 के आराजी संख्या—575ख, 575घ, 550क, 550ख, 570ख, 570क, मौजा भुल्लनपुर, परगना देहात अमानत, वाराणसी पर प्रस्तावित भवन निर्माण के सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, वाराणसी को उनके पत्र दिनांकः 05.03.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।